

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(148)आईडब्ल्यूएमपी/आजभूस/2016/10489-10533 दिनांक : 24/8/16

समस्त अधीक्षण अभियन्ता एवं
परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजना, अन्य विभाग को सम्मिलित कर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान द्वितीय चरण अन्तर्गत डीपीआर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्तालय के आदेश क्रमांक एफ.20(131) निजभूस/पीएफसी/2013-14/8786-8820 दिनांक 30.09.2015 एवं पत्रांक एफ.20(191)/निजभूस/पीएफसी/2015/11407-11442 दिनांक 09.12.2015 को अतिक्रमण करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान द्वितीय चरण अन्तर्गत चयनित परियोजनाओं में कॉमन गाईडलाइन के प्रावधानों के अन्तर्गत ही 56 प्रतिशत तक (50.4 प्रतिशत विकास मद एवं फ्लेक्सी फण्ड को सम्मिलित करते हुए) विकास मद हेतु कार्य डीपीआर में प्रस्तावित किये जावे।


मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान द्वितीय चरण अन्तर्गत चयनित परियोजनाओं हेतु क्षेत्र में चल रही अन्य विभागों यथा महात्मा गांधी नरेगा, सीएसआर, पंचायतीराज विभाग आदि की योजनाओं से अभिसरण कर जलग्रहण को संतृप्त करने की डीपीआर प्रस्तुत करे।


(अनुराग भारद्वाज)
आयुक्त

क्रमांक : एफ.18(148)आईडब्ल्यूएमपी/आजभूस/2016/10489-10533 दिनांक : 24/8/16

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), आयुक्तालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
9. समस्त उप निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
10. ए.सी.पी., आयुक्तालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।


अतिरिक्त निदेशक (IWMP)